Patrika

Big changes in UPSC, now over the age of 20 are not able to test

रायपुर. सिविल सेवा की परीक्षा में उम्र पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) बड़ा फैसला लेने जा रहा है। आयोग परीक्षा देने की अधिकतम उम्र 32 से घटाकर 26 साल करने की तैयारी की जा रही है। बदलाव केवल सामान्य वर्ग के आयु से जुड़े नियमों में होगा। सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय पर जल्द औपचारिक तौर पर मुहर लग सकती है। इसके बाद 26 साल से ज्यादा आयु वाले सामान्य वर्ग के छात्र परीक्षा नहीं दे सकेंगे।

26 या उससे कम उम्र वाले ही परीक्षा में बैठ सकेंगे। सूत्रों का कहना है कि न्यूनतम आयु के नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले की तरह ही कम से कम 21 साल की आयु वाले आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 32 उम्र वाले ही आवेदन कर सकते हैं। वहीं, एससी और एसटी के छात्रों के लिए आयु से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। इन वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 37 है और यही रहेगी।

यूपीएससी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयोग चाहता है कि आईएएस, आईएफएस और आईपीएस में ज्यादा युवा अधिकारी आने चाहिए। फिलहाल कई लोग सालों तक परीक्षा की तैयारी करते हैं और अक्सर 32 की उम्र में सफल हो पाते हैं। बाद में इनकी ट्रेड्क्षनग होती है।

इससे किसी वर्ग का भला नहीं होगा

अगर यह प्रस्ताव पास हुआ तो सामान्य व एससी/एसटी में रोष बढ़ेगा। सामान्य वर्ग के छात्रों को तैयारी के लिए कम समय मिलेगा। क्योंकि अधिकतम उम्र और न्यूनतम के बीच अंतर कम हो जाएगा। वहीं, एससी/एसटी का भी भला नहीं होगा। क्योंकि वे सचिव जैसे उच्च पदों पर पहुंचने से पहले रिटायर हो जाएंगे।